

विक्रमादित्य योजना

उद्देश्य – सामान्य निर्धन वर्ग के मेधावी छात्रों विद्यार्थियों को स्नातक स्तर पर निःशुल्क शिक्षा (शिक्षण शुल्क से छूट) प्रदाय करना ।

पात्रता

1. म.प्र. का मूल निवासी होना चाहिये ।
2. सामान्य वर्ग का छात्र जिनकी पारिवारिक आय ₹ 42,000/– से कम हो ।
3. 12 वी कक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होना चाहिये ।
4. उच्च शिक्षा में शासकीय एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय में नियमित प्रवेशित छात्र

प्रक्रिया

छात्र को समस्त प्रमाण पत्र के साथ महाविद्यालय में आवेदन देना होगा ।

लाभ

शिक्षण शुल्क में छूट